

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 मार्च 2017—चैत्र 9, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2017

क्र. 5325-69-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 मार्च, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१७

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन ( संशोधन ) अधिनियम, २०१७

[ दिनांक २९ मार्च, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक ३० मार्च, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन ( संशोधन ) अधिनियम, २०१७ है. संक्षिप्त नाम.

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(३) उपधारा (२) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा के होते हुए भी, ३१ मार्च, २०१७ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, ऊर्जा विभाग की कंपनियों के वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अधीन उधारों को, राज्य की शुद्ध उधार लेने की सामान्य अनुज्ञेय अधिकतम सीमा के विरुद्ध संगणित नहीं किया जाएगा.”

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2017

क्र. 5325-69-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 11 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 11 OF 2017

**THE MADHYA PRADESH RAJKOSHIYA UTTARDAYITVA AVAM BUDGET  
PRABANDHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017**

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 2017; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 30th March, 2017].

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget  
Prabandhan Adhiniyam, 2005.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

Amendment of Section 9.

2. In Section 9 of the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005), after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely :—

“(3) Notwithstanding any limit contained in clause (b) of sub-section (2), for the financial year ending 31st March, 2017, the borrowings under Ujwal Discom Assurance Yojana (UDAY), for financial reconstruction of the Companies of the Energy Department, shall not be reckoned against the normal permissible net borrowing ceiling of the State.”